तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की तारीख में जारी हुक्म
26/3/18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप० हैं। अभिभावकगण पक्षकारान की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/3/2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/3/18	पत्रावली पेश। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा आर्डर 47 नियम 1 वास्ते निर्णय का पुनरविलोकन किये जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद में प्रकरण मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के चरण पर लम्बित था। जिसमें दिनांक 27/05/16 को चतरगंज कैम्प में न्यायालय में विधि के प्रावधानों को गौर किये बिना ही सहवन से वादी का वाद प्रतिवादी गण के ~~पक्ष~~ में विरुद्ध डिग्री कर दिया। अतः निर्णय का पुनरावलोकन किया जाकर उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रतिवादी गण ने प्रस्तुत प्रा. पत्र के सम्बन्ध मे जवाब पेश कर प्रा. पत्र मे अंकित तथ्यों को स्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थी को उक्त विवादित निर्णय की अपीलीय न्यायालय में अपील करने का पूर्ण अधिकार था। प्रार्थी को उक्त निर्णय की अपील करनी चाहिए थी जो नहीं की जाकर पुनरावलोकन का	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नहीं है अतः प्रा० पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया व मूल वाद की आदेशिका का अवलोकन किया एवं वकिल पक्षकारान द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत किये विभिन्न विनिर्णयों पर प्रकाश डाला। मूलवाद की आदेशिका पर अंकन को वकिल प्रार्थी द्वारा गलत बताया गया है जबकि दिनांक 27/05/16 की आदेशिका में स्पष्ट अंकन है कि जवाब दावा बंद किया जाता है। वकिल प्रार्थी द्वारा मूलवाद में प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 39 नियम 7 जा० दि० के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट दौराने कैम्प मंगा ली गई थी जो शामिल पत्रावली है जिससे उक्त आदेश 39 नियम 7 जा. दि. का स्वतः ही निस्तारण हो गया। पुनरविलोकन में लिपिकिय त्रुटि को ही सुधार किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र के साथ मियाद अधि० की धारा 5 का प्रा० पत्र संलग्न नहीं है। यदि प्रार्थी न्यायलय निर्णय से आहत है तो अपिलिय न्यायलय में अपील कर राहत प्राप्त कर सकता है। व उपरोक्त सम्पुर्ण विवेचन से प्रा. पत्र बाबत निर्णय का पुनरविलोकन किये जाने बाबत स्वीकारयोग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	